:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– महावीर प्रसाद जैन आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 10/24

1. श्री धर्मेन्द्र पिता हरीश पारगी जाति मीणा निवासी गन्देरी तहसील चिखली।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री भूमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम
:: निर्णय :: दिनांक 18/03/2026

प्रकरण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गॉव गन्देरी पटवारी हल्का कुंआ के स्थायी निवासी है। प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार अपने संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि पर कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है।

यह कि प्रार्थी व अन्य सहखातेदार के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम गन्देरी में खाता संख्या 06 खसरा नम्बर 11, 12, 13, 17, 18, 19 खेत किता 6 कुल रकबा 2.7425 है0 व खाता संख्या 07 खसरा नम्बर 16 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4207 है0 में हिस्सा होकर स्थित है। जिस पर संयुक्त रूप से काबिज है।

यह कि प्रार्थी का वास्तविक नाम धमेन्द्र पारगी होने के बावजुद भी उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी कम संख्या 8 व 9 में आराजी में प्रार्थी का नाम धुला पिता हलिया गलत रूप से अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेज में उसका नाम धर्मेन्द्र पारगी ही है तथा प्रार्थी धमेन्द्र पारगी के नाम से ही जाने/पहचाना जाता है।

यह कि जरिये इन्द्राज दुरस्ती राजस्व रिकॉर्ड आराजी नम्बर जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है जिसमें दर्ज नाम धुला पिता हलिया को हटाया जाकर उसकी जगह वास्तविक नाम धमेन्द्र पारगी पिता हरीश पारगी दर्ज किया जाने आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरीये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार चिखली द्वारा दिनांक 13.08.2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी धमेन्द्र पुत्र हरीशे पारगी मौजा गन्देरी के खाता संख्या 6 रकबा 2.7425 है0 व खाता संख्या 7 खसरा नम्बर 16 रकबा 0.4207 है0 भूमि खातेदार धुला पुत्र हलिया मीणा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक नाम धर्मेन्द्र पुत्र हरीश पारगी होने के बावजुद उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम धुला पुत्र हलीया मीणा दर्ज हो गया है। प्रार्थी धर्मेन्द्र पुत्र हरीश पारगी के राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार, आधारकार्ड व स्कुल के दस्तावेज में धुला पुत्र हलीया मीणा नहीं होकर धर्मेन्द्र पुत्र हरीश पाारगी नाम दस्तावेज में दर्ज है। तहसीलदार चिखली की रिपोर्ट में धुला पुत्र हलीया मीणा के बजाय धर्मेन्द्र पुत्र हरीश पारगी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया है। पत्रावली में वर्णित भूमि में प्रार्थी के सहखातेदार श्री गौतमलाल पारगी व श्री पुनमचंद पारगी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिस पर उनके बयान लेखबद्व किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर आवेदक का नाम अन्य दस्तावेजों में दर्ज नाम के आधार पर दुरस्त किये जाने का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि–

–:आदेशः–

ग्राम गन्देरी में खाता संख्या 06 खसरा नम्बर 11, 12, 13, 17, 18, 19 खेत किता 6 कुल रकबा 2.7425 है0 व खाता संख्या 07 खसरा नम्बर 16 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4207 है0 में इन्द्राज दुरस्ती कर धुला पुत्र हलीया के स्थान पर धर्मेन्द्र उर्फ धुला पुत्र हरीश उर्फ हलीया दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

आज दिनांक 18/03/2026 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

(महावीर प्रसाद जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली